[2020] 1 उम. नि. प. 153

देव करन उर्फ **लम्बू**

बनाम

हरियाणा राज्य

[2010 की दांडिक अपील सं. 299]

6 अगस्त, 2019

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 141, 149 और 302 – विधिविरुद्ध जमाव और हत्या – दोषसिद्धि – अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप विरचित करते समय धारा 141 को सम्मिलित न किया जाना – प्रभाव – चूंकि इस धारा में विधिविरुद्ध जमाव के उद्देश्यों को उपवर्णित किया गया है और विधिविरुद्ध जमाव के कार्यों और उनके लिए दंड पश्चात्वर्ती उपबंधों में उपवर्णित है, इसलिए धारा 149 के अधीन सिद्धदोष करने के लिए विधिविरुद्ध जमाव के आवश्यक संघटकों को साबित करना पर्याप्त होगा और आरोपों में धारा 141 के सम्मिलित न करने के कारण संपूर्ण विचारण अवैध नहीं हो जाएगा ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 141, 149 और 302 – विधिविरुद्ध जमाव और हत्या – जहां मृतक के साथ पूर्व में हुई कहा-सुनी को लेकर अभियुक्त घातक आयुधों से लैस होकर घटनास्थल पर आए, मृतक को गंभीर क्षतियां कारित कीं जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई हो, प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा बीच-बचाव करने की कोशिश करने पर उन्हें भी गंभीर क्षतियां कारित की गईं, वहां विधि जमाव का आशय और सामान्य उद्देश्य स्पष्ट होने, साक्षियों का साक्ष्य विश्वासोत्पादक पाए जाने, साक्षियों द्वारा की गई अभियुक्तों की शनाख्त में कोई खामी न होने पर छुट-पुट विसंगतियों के कारण अभियोजन के पक्षकथन पर संदेह

नहीं किया जा सकता है और अभियुक्तों को दोषसिद्ध करना उचित और न्यायसंगत होगा ।

अपील के तथ्यों के अनुसार, सात अभियुक्त आयुधों से लैस होकर मृतक के साथ पूर्व में हुई कहा-सुनी को लेकर उसके निर्माणाधीन मकान में आए, जहां मृतक और उसके कुछ मित्र शराब पी रहे थे । अभियुक्तों ने अपने आयुधों से मृतक पर प्रहार किए जिसे लगभग 24 क्षतियां पहुंचीं । वहां उपस्थित मित्रों (प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों) द्वारा बीच-बचाव करने की कोशिश की गई तो उन्हें भी गंभीर क्षतियां कारित की गईं । मृतक की क्षतियों के कारण अस्पताल में मृत्यु हो गई । पुलिस द्वारा अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और उनके बताने पर आयुध और अन्य सामग्री अभिगृहीत किए गए । अन्वेषण पूर्ण होने पर आरोप पत्र फाइल किया गया और भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 148, 302, 307, 325 और 449 के अधीन आरोप विरचित किए गए और दोषी पाए जाने पर दोषसिद्ध और आजीवन कारावास सहित अन्य दंडादेशों से दंडादिष्ट किया गया । अभियुक्तों द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर उच्च न्यायालय में अपीलें फाइल की गईं । दो अभियुक्तों द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपीलें फाइल नहीं की गईं और दंडादेश स्वीकार कर लिया गया । एक अभियुक्त की विचारण के लंबित रहते हुए मृत्यु हो गई । शेष चार अभियुक्तों-अपीलार्थियों द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपीलें फाइल की गईं । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपीलें खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – दलीलों का मुख्य सार यह अभिवाक् था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 141 के अधीन कोई आरोप विरचित नहीं किया गया था । इसके अतिरिक्त यह दलील दी गई कि घटना की शुरूआत संदीप और अभियुक्त सं. 2 तथा अभियुक्त सं. 3 के बीच हुई अभिकथित कहा-सुनी से हुई थी । तथापि, संदीप जो एकमात्र व्यक्ति था जो इस बारे में यह प्रकाश डाल सकता था कि किस बात को लेकर आरंभ में झगड़ा हुआ था, किंतु उसकी परीक्षा नहीं की गई और इसका सर्वोत्तम कारण अभियोजन पक्ष को ही ज्ञात है । इतना ही नहीं, संदीप

अभिकथित रूप से घटना के पश्चात् शराब लेकर वापस आया था और उसके पश्चात् सभी अभियुक्त अभिकथित रूप से घटनास्थल पर आए और मृतक की पिटाई की । जिस तीसरी बात पर जोर दिया गया वह यह थी कि मुख्य क्षति, जिससे मृत्यु कारित हुई होगी, लकड़ी के लठ द्वारा सिर पर पहुंचाई गई क्षति थी और यह क्षति अभियुक्त सं. 1 द्वारा कारित की गई थी जिसकी विचारण के दौरान मृत्यु हो गई थी । पूर्वोक्त पहलू की परीक्षा करने पर, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचने में असमर्थ है कि आरोप विरचित करते समय भारतीय दंड संहिता की धारा 141 को सम्मिलित न करना कोई ऐसी घातक त्रुटि है जिससे संपूर्ण विचारण अवैध हो जाता है या इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 149 का अवलंब लेने का कोई कारण नहीं था । यह प्रतीत होता है कि विद्वान् काउंसेल ने न्यायिक निर्णयों का सही परिप्रेक्ष्य में यह मूल्यांकन नहीं किया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 149 का अवलंब लेने के लिए क्या आवश्यक है जो पूर्ववर्ती निर्णयों में उपवर्णित किया गया है । यह कहीं भी नहीं कहा गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 141 का विनिर्दिष्ट रूप से अवलंब लिया जाना चाहिए अन्यथा इसके परिणाम घातक होंगे । जैसे ही विधिविरुद्ध जमाव के आवश्यक संघटक, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 141 में निरूपित हैं, उपवर्णित किए जाते हैं और साबित हो जाते हैं, इतना पर्याप्त होगा । विधिविरुद्ध जमाव के कार्य और उसके पश्चात् दंड, भारतीय दंड संहिता की धारा 141 के पश्चात् के पश्चात्वर्ती उपबंधों में उपवर्णित हैं और जैसे ही वे संघटक पूर्ण हो जाते हैं, भारतीय दंड संहिता की धारा 149 का अवलंब लिया जा सकता है । (पैरा 10 और 21)

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में, यह मत व्यक्त किया जाता है कि संदीप और सातों अभियुक्तों के बीच जो भी कहा-सुनी या बहस हुई थी, इसका परिणाम यह था कि सातों अभियुक्त आक्रामक आयुधों से लैस होकर घटनास्थल, जो मृतक का निर्माणाधीन मकान था, पर आए थे और सभी ने मृतक पर प्रहार किए थे । राजेश यादव, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, ने न केवल बाही से प्रहार किया था, अपितु यह ललकार भी दी थी कि मृतक को मार दिया जाए । अन्य सभी अभियुक्तों ने भी मृतक पर प्रहार किए थे । अभि. सा. 7 और अभि. सा. 8 के बीच-बचाव करने पर

भी उनके ये प्रहार नहीं रुके थे, अपितु दूसरी ओर, इसके परिणामस्वरूप अभि. सा. 7 और अभि. सा. 8 को क्षतियां पहुंची थीं । यह ऐसा मामला नहीं है जहां सामान्य जमाव के सदस्य घटनास्थल पर आए और तत्पश्चात् प्रहार करने का विनिश्चय किया हो । ऐसा नहीं है कि कोई संयोगवश इस समूह में सम्मिलित हुआ था, अपितु उनमें से सभी एक स्पष्ट आशय के साथ एक साथ आए थे और उस आशय के अनुसार कार्य किया था । ऐसा नहीं है कि अभियुक्तों में से कोई घटनास्थल से भाग गया हो, या वह प्रहार करने का आशय समाप्त हो गया हो जिनसे परिणामस्वरूप मृतक की मृत्यु हुई थी । इस प्रकार, सामान्य उद्देश्य इसके देखने से ही स्पष्ट हो जाता है । मृतक को कम-से-कम चौबीस क्षतियां पहुंची थीं और दोनों निचले न्यायालयों ने यह पाया कि अभि. सा. 7 और अभि. सा. 8 द्वारा दिए गए वृत्तांत से विश्वास पैदा होता है जो कि स्वयं घटना में क्षतिग्रस्त हुए थे । इस प्रकार, जहां बहुत सारे व्यक्तियों ने अचानक आक्रमण किया हो, वहां छुट-पुट विसंगतियां पाया जाना स्वाभाविक कारण है । प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अभियुक्तों को जानते थे और इस प्रकार गलत शनाख्त का मामला नहीं हो सकता है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट फाइल करने में कोई अस्पष्टीकृत विलंब नहीं हुआ था । निस्संदेह, अन्वेषक अधिकारी ने यह अभिसाक्ष्य दिया था कि शराब की दुकानें 11.00 बजे अपराह्न तक खुली रहती हैं, किन्तु इसी बात से वृत्तांत झूठा साबित नहीं हो जाता है, क्योंकि उतने बजे भी शराब प्राप्त करने की कुशलता को समझना कठिन नहीं है और यह बात इस तथ्य से सिद्ध होती है कि शराब प्राप्त की गई थी और घटनास्थल पर उन व्यक्तियों द्वारा आरंभ में लाई गई शराब को समाप्त करने के पश्चात् वे यह शराब पी रहे थे । तथापि, न्यायालय यह उल्लेख कर सकता है कि निस्संदेह संदीप के साथ-साथ अन्य व्यक्तियों की परीक्षा की जानी चाहिए थी जिनमें नरेन्द्र भी है जो बाद में आरंभ में हुई कहा-सुनी के स्थान पर गया था । निस्संदेह, अभियोजन पक्ष ने यहां पर गलती की है । तथापि, प्रश्न यह है कि क्या इस बात से किसी रीति में घटना पर, या मृतक को क्षतियां कारित करने की रीति पर, जिनके परिणामस्वरूप मृतक की मृत्यु हुई थी, तथा प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों पर संदेह उत्पन्न होता

है । प्रस्तुत मामले के तथ्यों का विश्लेषण करने पर हमारा उत्तर नकारात्मक है । तथापि, अच्छी बात यह है कि सुरेन्द्र पुत्र भगवान सिंह, जो अभि. सा. 7 है, की शिकायतकर्ता के रूप में परीक्षा की गई थी और उसने संक्षिप्त और स्पष्ट रूप से घटना का उपवर्णन किया था । क्षतिग्रस्त साक्षी अभियुक्तों को जानते थे । घटनास्थल एक निर्माणाधीन स्थल था, इसका यह अर्थ नहीं कि वहां बिजली ही नहीं थी जिससे कि अभियुक्तों की शनाख्त के बारे में भ्रम उत्पन्न हो सके । न्यायालय इस तर्क से भी अप्रभावित है कि दंडादेश को धारा 304 भाग-2 के अधीन आने वाले दंडादेश में संपरिवर्तित कर दिया जाए क्योंकि अभियुक्तों द्वारा सिद्धदोष व्यक्तियों के रूप में साढ़े नौ वर्ष की अवधि का कारावास भुगत लिया गया है । आक्रमण करने की रीति, जिस सामान्य उद्देश्य से यह आक्रमण किया गया था, क्षतियां की प्रकृति इस मामले में न्यायालय को अभियुक्तों को उससे कम दंडादेश, जो विधान-मंडल द्वारा आदिष्ट है अर्थात् आजीवन कारावास (जहां विकल्प केवल मृत्युदंड है) भुगतने के लिए उन्हें केवल सुकर करने हेतु मामले में अधिक अनुकंपा बरतने के लिए अनुज्ञात नहीं करते हैं । (पैरा 22, 23, 24 और 26)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2018]	(2018) 7 एस. सी. सी. 743 : **विनुभाईरणछोड़भाई पटेल** बनाम **राजीवभाई दुदाभाई पटेल और अन्य** ;	13
[2011]	(2011) 5 एस. सी. सी. 324 : **कुलदीप यादव** बनाम **बिहार राज्य** ;	20
[2004]	(2004) 13 एस. सी. सी. 203 : **दानी सिंह** बनाम **बिहार राज्य** ;	17
[1966]	[1966] 1 एस. सी. आर. 18 : **महादेव शर्मा** बनाम **बिहार राज्य** ।	18

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2010 की दांडिक अपील सं. 299. (इसके साथ 2010 की दांडिक अपील सं. 300, 302 और 1139)

दांडिक अपील सं. 61-डीबी/99 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के तारीख 19 सितम्बर, 2008 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

हाजिर होने वाले पक्षकारों की ओर से सुश्री अल्का अग्रवाल, अपर महाधिवक्ता, सर्वश्री आर. बसंत, ज्येष्ठ महाधिवक्ता, (सुश्री) तरुन्नम चीमा, ए. कार्तिक, (सुश्री) स्मृति सुरेश, विष्णु पी., बदुशा सुलेमान, अक्षय सहाय, (सुश्री) हिरल गुप्ता, अक्षय एन., संजय जैन, (सुश्री) अनामिका अग्रवाल, डा. मोनिका गुसाईं, ऋषि मल्होत्रा, उत्कर्ष सिंह, राम नरेश यादव, बी. सुशांत और मोहित कुमार सिंह

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने दिया ।

न्या. कौल – 28 जुलाई, 1994 की दुर्भाग्यपूर्ण तारीख को 3.00 बजे पूर्वाह्न में जयबीर **उर्फ** गब्बु (संक्षेप में 'मृतक') की हत्या कर दी गई थी । सुरेन्द्र (अभि. सा. 7) नामक व्यक्ति उसी दिन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई थी । घटना घटित होने से पूर्व की भूमिका प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उपवर्णित की गई है ।

2. मृतक का आवासीय मकान गांव मोडावाला बाग, भिवानी में निर्माणाधीन था । एक मित्र-मंडली - सुरेन्द्र (अभि. सा. 7), मृतक, अजय भान (अभि. सा. 8), एक अन्य सुरेन्द्र पुत्र राजेन्द्र सिंह (जिसकी परीक्षा नहीं की गई), संदीप (जिसकी परीक्षा नहीं की गई) और नरेन्द्र (जिसकी परीक्षा नहीं की गई) निर्माणाधीन मकान के एक कमरे में बैठे हुए थे और शराब पी रहे थे । यह प्रतीत होता है कि संभवत:, शराब कम पड़ गई थी, क्योंकि मृतक ने संदीप से अंग्रेजी शराब विक्रेता से शराब का

एक अध्धा लाने के लिए कहा । कुछ समय के पश्चात्, शेष मित्रों ने जो कमरे में थे, संदीप की आवाजें आती हुई सुनीं । यह पड़ताल करने के लिए कि क्या हो रहा है, सुरेन्द्र (अभि. सा. 7/शिकायतकर्ता), मृतक और नरेन्द्र शराब की दुकान की ओर गए । शराब की दुकान की सन्निकटता में, नरेश कुमार की चाय की दुकान के निकट इन तीनों व्यक्तियों ने अभियुक्त कृष्ण और विद्या रतन (मूल अभियुक्त सं. 3/2010 की दांडिक अपील सं. 300 में अपीलार्थी) संदीप को गाली देते हुए और उसके साथ झगड़ते हुए देखा । गर्मागर्मी कहा-सुनी हुई और धमकियां दी गईं । मृतक ने कृष्ण और विद्या रतन से दिन के समय शिकायतकर्ता और उसके मित्रों से मामले पर चर्चा करने के लिए आने को कहा । शिकायतकर्ता, मृतक, नरेन्द्र और संदीप उसके पश्चात् निर्माणाधीन आवासीय मकान पर वापस आ गए ।

3. शिकायतकर्ता का यह पक्षकथन है कि ये मित्र अभी पुन: एक बार अपने पीने की प्रक्रिया शुरू ही कर रहे थे, सात व्यक्ति (विचारण न्यायालय के समक्ष सभी अभियुक्तों के रूप में क्रमांकित) लकड़ी के लठ, लाठियों और तलवार जैसे आक्रामक आयुधों से लैस होकर मृतक के निर्माणाधीन मकान में आए । राजेश यादव (अभियुक्त सं. 1, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, बाही (लकड़ी का एक आयताकार लठ, जो चारपाई बनाने में प्रयोग होता है) से लैस था और उद्घोषणा की कि मृतक, जिसे लीडर (नेता) के रूप में निर्दिष्ट किया, को मार दिया जाए और फिर उसने मृतक के सिर पर लकड़ी के लठ से प्रहार किया । कृष्ण द्वारा मृतक के सिर पर लाठी से एक प्रहार किया गया । इन प्रहारों के परिणामस्वरूप मृतक जमीन पर गिर गया । हमला जारी रहा जब सुरेश (मूल अभियुक्त सं. 5/2010 की दांडिक अपील सं. 302 में अपीलार्थी) ने भी लकड़ी के लठ से मृतक की बाईं टांग पर प्रहार किया । राजेश यादव (अभियुक्त सं. 1), जिसकी मृत्यु हो चुकी है, ने ललकार दी कि जयबीर (मृतक) को बिल्कुल जान से मार दिया जाए । इसके पश्चात्, सभी अभियुक्त अपने-अपने आयुधों से अन्धाधुंध मृतक पर प्रहार करने लगे । हमला करने के लिए कई प्रकार के आयुध प्रयुक्त किए गए थे, राजेश यादव और सुरेश बाहियों से लैस थे, जबकि राजेश जोगी (मूल अभियुक्त सं. 4/2010 की दांडिक अपील सं. 1139 में मूल अभियुक्त) कृपाण

(तलवार) से लैस था और शेष चार अभियुक्त लाठियां लिए हुए थे ।

4. शिकायतकर्ता द्वारा बीच-बचाव करने का प्रयास करने का परिणाम यह हुआ कि उस पर विभिन्न अभियुक्तों द्वारा प्रहार किए गए और यही परिणाम अजय भान (अभि. सा. 8) का भी हुआ जब उसने बीच-बचाव करने का प्रयास किया । जब मृतक के शेष साथियों द्वारा शोर मचाया गया, तो सभी अभियुक्त व्यक्ति कथित रूप से घटनास्थल से भाग गए । मृतक को यद्यपि सामान्य अस्पताल, भिवानी ले जाया गया, किंतु उसकी क्षतियों के कारण मृत्यु हो गई । अभि. सा. 8 और अभि. सा. 7 का परीक्षण करने पर डाक्टर ने यह राय व्यक्त की कि अभि. सा. 8 की खोपड़ी पर बहु विदीर्ण घाव थे और उसके दाएं प्रबाहु की हड्डियों, बाएं प्रबाहु की हड्डियों और दाएं पैर में अस्थि भंग था । आवश्यक चिकित्सीय उपचार देने के पश्चात्, उसे उसी दिन चिकित्सा महाविद्यालय, रोहतक के लिए रेफर कर दिया गया । सुरेन्द्र (अभि. सा. 7/शिकायतकर्ता) की दाईं ओर शल्यक वातस्फीति (ऐसी दशा जिसमें फेफड़ों की वात झिल्लियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जिसके कारण श्वासहीनता हो जाती है) पाई गई थी और इसी कारण से उसे चिकित्सा महाविद्यालय, रोहतक रेफर किया गया था । ड्यूटी पर तैनात डाक्टर, डा. आदित्य सरूप गुप्ता द्वारा 4.15 बजे पूर्वाह्न में पुलिस थाना, भिवानी में रुक्का भेजा गया था । यह कहना पर्याप्त होगा कि डाक्टर द्वारा इन दोनों व्यक्तियों को विभिन्न क्षतियां पहुंची हुई पाई गई थीं जो कुंद आयुधों से कारित की गई थीं और उनमें से कुछ क्षतियां गंभीर प्रकृति की थीं, जबकि शेष क्षतियां साधारण थीं । डाक्टर ने यह राय व्यक्त की कि समय पर चिकित्सीय सहायता न मिलने पर क्षतियां घातक साबित हो सकती थीं । इन दोनों व्यक्तियों को तारीख 28 जुलाई, 1994 को 5.40 बजे पूर्वाह्न में कथन करने के लिए ठीक घोषित किया गया ।

5. रुक्का भेजे जाने पर, पुलिस थाना, भिवानी के थाना अधिकारी अभि. सा. 7 और अभि. सा. 8 के कथन अभिलिखित करने के लिए अस्पताल पहुंचे । इस प्रकार, 7.15 बजे पूर्वाह्न में सभी अभियुक्तों पर मृतक की हत्या करने के सामान्य उद्देश्य का अभ्यारोपण करते हुए

औपचारिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई । मृत्युसमीक्षा की कार्यवाहियां करने के उपरांत शव को मरणोत्तर परीक्षा के लिए भेजा गया । मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भिवानी को 9.00 बजे पूर्वाह्न में एक विशेष रिपोर्ट प्राप्त हुई, और थाना अधिकारी द्वारा घटनास्थल पर एक कच्चा घटनास्थल का नक्शा बनाया गया और उसने रक्त-रंजित मिट्टी, मृतक की एक चादर, एक कमीज, एक पाजामा और बनियान फटी हुई हालत में एकत्रित किए । चार अभियुक्तों-कृष्ण, विद्या रतन, सुरेश और राजेश जोगी को तारीख 28 जुलाई, 1994 को हिरासत में लिया गया/गिरफ्तार किया गया और उनसे पूछताछ की गई । मरणोत्तर परीक्षा समाप्त होने पर मृतक को, अन्य के साथ-साथ, निम्नलिखित क्षतियां पहुंची हुई पाई गईं :–

> • "खोपड़ी के पार्श्विक-अनुकपालीय क्षेत्र पर और माथे, खोपड़ी के विभिन्न अन्य भागों पर बहु विदीर्ण घाव । कपाल (खोपड़ी) अस्थि को खोलने पर अस्थिभंग वाले स्थान पर एक पश्च-अस्थि की दाईं तरफ, सब्ड्यूरल (मस्तिष्क के आवरण और मस्तिष्क के बीच में) रक्तस्राव पाया गया था ।
>
> • बाईं भौंह, निचली पलक, दाएं प्रबाहु और बाईं टांग पर विदीर्ण घाव ।
>
> • बाईं टांग में अस्थिभंग ।
>
> • दाएं कंधे, दाईं ऊपरी भुजा, छाती, उदर, बाईं और दाईं जांघ, बाएं और दाएं घुटने पर रगड़ ।
>
> • बाएं कंधे, बाएं प्रबाहु पर खरौंचे ।"

यह राय व्यक्त की गई थी कि मृत्यु का कारण क्षतियों के परिणामस्वरूप पहुंचा सदमा और रक्तस्राव था, जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थे । ये क्षतियां लाठियों, बाहियों और तलवार के प्रहारों के परिणामस्वरूप पहुंचना पूरी तरह संभव था ।

6. गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों से परिप्रश्न करने पर उनके द्वारा किए गए प्रकटन कथन के परिणामस्वरूप तारीख 29 जुलाई,

1994 को आयुधों और उनके द्वारा घटना के समय पहने हुए कपड़ों की बरामदगी की गई । उसी दिन, राजेश यादव (अभियुक्त सं. 1) को भी गिरफ्तार किया गया और उसके प्रकटन कथन के आधार पर एक बाही की बरामदगी की गई । तथापि, देव करन (मूल अभियुक्त सं. 6/2010 की दांडिक अपील सं. 299 में अपीलार्थी) को बाद में तारीख 1 अगस्त, 1994 को गिरफ्तार किया गया और उसने लाठियों की खोज करवाई, जिसके लिए अभियुक्त कर्मा द्वारा भी सहायता मुहैया की गई थी ।

7. अन्वेषण पूर्ण होने पर, तारीख 15 नवम्बर, 1994 को आरोप पत्र फाइल किया गया और भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे इसमें इसके पश्चात् भारतीय दंड संहिता कहा गया है) की धारा 149 के साथ पठित धारा 148, 302, 307 और 325 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 449 के अधीन आरोप विरचित किए गए । अभियुक्तों ने निर्दोष होने का अभिवाक् किया और विचारण के दौरान सत्रह अभियोजन साक्षियों की परीक्षा की गई । प्रतिरक्षा साक्षी के रूप में किसी साक्षी की परीक्षा नहीं की गई थी । विचारण के दौरान राजेश यादव की मृत्यु हो गई । गिरफ्तार किए गए शेष अभियुक्त दोषी पाए गए और भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 148, 302, 307 और 325 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 449 के अधीन दोषसिद्ध किए गए । सभी अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आजीवन कारावास सहित प्रत्येक को 500/- रुपए के जुर्माने से दंडादिष्ट किया गया । उनमें से प्रत्येक को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन भी 500/- रुपए के जुर्माने सहित सात वर्ष का कठोर कारावास भुगतने के लिए दंडादिष्ट किया गया और भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के अधीन भी इसी प्रकार का दंडादेश दिया गया । उनमें से प्रत्येक को भारतीय दंड संहिता की धारा 325 के अधीन 200/- रुपए के जुर्माने सहित तीन वर्ष का कठोर कारावास भुगतने का भी निदेश दिया गया तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 148 के अधीन उनमें से प्रत्येक को 200/- रुपए के जुर्माने सहित दो वर्ष के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया । दंडादेश साथ-साथ चलने का निदेश दिया गया । सभी अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के अधीन दोषी

ठहराया गया क्योंकि उन्होंने विधिविरुद्ध जमाव का गठन किया था जिसके परिणामस्वरूप, यह राय व्यक्त की गई कि प्रत्येक अभियुक्त द्वारा कारित की गई क्षतियों के विनिर्दिष्ट आरोपण पर विचार किए जाने की आवश्यकता नहीं है ।

8. यह भी उल्लेखनीय है कि कर्मा (अभियुक्त सं. 7) को बाद में गिरफ्तार किया गया था और एक पश्चात्वर्ती विचारण में दोषसिद्ध किया गया था । अभियुक्तों ने अपीलें फाइल कीं । तथापि, उच्च न्यायालय ने तारीख 19 सितम्बर, 2008 के आक्षेपित निर्णय और आदेश के निबंधनों के अनुसार अपीलें खारिज कर दीं ।

9. उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध कृष्ण (अभियुक्त सं. 2) और कर्मा (अभियुक्त सं. 7) ने आगे इस न्यायालय में अपील फाइल नहीं की और प्रतीत होता है कि उन्होंने दंडादेश स्वीकार कर लिया है । इस प्रकार, केवल विद्या रतन (अभि. सं. 3), राजेश जोगी (अभि. सं. 4), सुरेश (अभि. सं. 5) और देव करन (अभि. सं. 6) ने अपीलें फाइल की हैं और इन्हीं चारों अपीलों की हमारे द्वारा प्रस्तुत निर्णय में परीक्षा की गई है ।

10. विद्वान् काउंसेल ने अभियुक्त सं. 4 और अभियुक्त सं. 6 अर्थात् राजेश और देव करन की ओर से दलीलें दीं । दलीलों का मुख्य सार यह अभिवाक् था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 141 के अधीन कोई आरोप विरचित नहीं किया गया था । इसके अतिरिक्त यह दलील दी गई कि घटना की शुरूआत संदीप और अभियुक्त सं. 2 तथा अभियुक्त सं. 3 के बीच हुई अभिकथित कहा-सुनी से हुई थी । तथापि, संदीप जो एकमात्र व्यक्ति था जो इस बारे में यह प्रकाश डाल सकता था कि किस बात को लेकर आरंभ में झगड़ा हुआ था, किंतु उसकी परीक्षा नहीं की गई और इसका सर्वोत्तम कारण अभियोजन पक्ष को ही ज्ञात है । इतना ही नहीं, संदीप अभिकथित रूप से घटना के पश्चात् शराब लेकर वापस आया था और उसके पश्चात् सभी अभियुक्त अभिकथित रूप से घटनास्थल पर आए और मृतक की पिटाई की । जिस तीसरी बात पर जोर दिया गया वह यह थी कि मुख्य क्षति, जिससे मृत्यु कारित हुई होगी, लकड़ी के लठ द्वारा सिर पर पहुंचाई गई क्षति थी और यह क्षति अभियुक्त सं. 1 द्वारा कारित की गई थी जिसकी विचारण के दौरान मृत्यु हो गई थी ।

11. विद्वान् काउंसेल ने हमें भारतीय दंड संहिता के अध्याय 8 के उपबंधों को पढ़वाया, जो 'लोक प्रशांति' के संबंध में हैं । उनकी यह दलील थी कि इन उपबंधों को समग्र रूप में और क्रमवार पढ़ा जाना चाहिए । इस प्रकार, भारतीय दंड संहिता की धारा 141 में 'विधिविरुद्ध जमाव' को सामान्य उद्देश्य के साथ पांच या अधिक व्यक्तियों के जमाव के रूप में परिभाषित किया गया है । ये सामान्य उद्देश्य धारा में विनिर्दिष्ट हैं, और इस मामले में लागू होने वाला पहलू तीसरा पहलू है, अर्थात् "किसी रिष्टि या आपराधिक अतिचार या अन्य अपराध का करना ।" भारतीय दंड संहिता की धारा 142 में यह उपबंधित है कि कोई व्यक्ति उन तथ्यों से परिचित होते हुए जो किसी जमाव को विधिविरुद्ध जमाव बनाते हैं, उस जमाव में साशय सम्मिलित होता है, या उसमें बना रहता है, वह विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य है, यह कहा जाता है, जबकि भारतीय दंड संहिता की धारा 143 में ऐसे विधिविरुद्ध जमाव का भाग होने के लिए दंड का उपबंध है । भारतीय दंड संहिता की धारा 144 घातक आयुध से जिससे मृत्यु कारित होनी संभाव्य है, सज्जित होकर किसी विधिविरुद्ध जमाव में सम्मिलित होने के संबंध में है । भारतीय दंड संहिता की धारा 146 बल्वा करने के संबंध में है ; भारतीय दंड संहिता की धारा 147 बल्वा करने के लिए दंड के संबंध में है जबकि धारा 148 घातक आयुध से सज्जित होकर बल्वा करने के संबंध में है । भारतीय दंड संहिता की धारा 149 निम्नलिखित प्रकार से है :–

> "149. विधिविरुद्ध जमाव का हर सदस्य, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी – यदि विधिविरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध किया जाता है, या कोई ऐसा अपराध किया जाता है, जिसका किया जाना उस जमाव के सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करने में संभाव्य जानते थे, तो हर व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस जमाव का सदस्य है, उस अपराध का दोषी होगा ।"

12. इस प्रकार, यह दलील दी गई कि भारतीय दंड संहिता की धारा 141 के अधीन विधिविरुद्ध जमाव का गठन करने के परिणाम के रूप में

भारतीय दंड संहिता की धारा 143 के अधीन दंड का उपबंध न होने से भारतीय दंड संहिता की धारा 149 लागू करने का कोई कारण नहीं हो सकता है ।

13. विद्वान् काउंसेल ने अपनी दलील को स्पष्ट करने के लिए **विनुभाईरणछोड़भाई पटेल** बनाम **राजीवभाई दुदाभाई पटेल और अन्य**[1] वाले मामले को निर्दिष्ट किया । इसमें प्रतिनिधिक दायित्व की संकल्पना के आधार पर, जिसके परिणामस्वरूप विधिविरुद्ध जमाव का गठन करने वाले बहुत सारे अभियुक्तों को दोषी ठहराया जा सकता है, यह अभिनिर्धारित करने के लिए चर्चा की गई थी कि यह आवश्यक नहीं है कि अभियुक्तों में से हर अभियुक्त ने घातक क्षति या कोई अन्य क्षति कारित की हो ; ऐसे जमाव में अभियुक्त की मात्र मौजूदगी आक्रमण के शिकार व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के लिए उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के अधीन प्रतिनिधिक रूप से दायी ठहराने के लिए पर्याप्त है, बशर्ते अभियुक्तों को यह बताया गया हो कि उन्हें इस प्रकार प्रतिनिधिक रूप से दायी ठहराते हुए आरोप का सामना करना है । भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के अधीन इस प्रतिनिधिक दायित्व के सिद्धांत को निर्णय के पैरा 28 में उपवर्णित किया गया है और वह निम्नलिखित है :-

> "धारा 149 में प्रतिनिधिक दायित्व दो आकस्मिकताओं में यह घोषित करते हुए प्रतिपादित किया गया है [शम्भू नाथ सिंह **बनाम** बिहार राज्य, ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 725 = 1960 क्रिमिनल ला जर्नल 1144] कि (i) यदि किसी विधिविरुद्ध जमाव का कोई सदस्य उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में कोई अपराध करता है, तब ऐसे विधिविरुद्ध जमाव का प्रत्येक सदस्य विधिविरुद्ध जमाव के अन्य सदस्यों द्वारा किए गए अपराध का दोषी है, और (ii) उन मामलों में भी, जहां विधिविरुद्ध जमाव के सभी सदस्यों ने कोई विशिष्ट अपराध कारित करने के लिए उसी सामान्य उद्देश्य को सांझा न भी किया हो, यदि उन्हें इस तथ्य का ज्ञान रहा हो कि जमाव के कुछ अन्य सदस्यों द्वारा उस सामान्य

---

[1] (2018) 7 एस. सी. सी. 743.

उद्देश्य को अग्रसर करने में वह विशिष्ट अपराध कारित करना संभाव्य है ।"

14. इस प्रकार, पैरा 31 के अनुसार, यह राय व्यक्त की गई कि भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के अधीन विधिविरुद्ध जमाव की संकल्पना के दो तत्व हैं :-

"(i) जमाव में कम-से-कम पांच व्यक्ति समाविष्ट होने चाहिए ; और

(ii) उनका कोई अपराध कारित करने का या इस धारा में प्रगणित उद्देश्यों में से कोई एक प्राप्त करने का सामान्य उद्देश्य होना चाहिए ।"

15. इस संदर्भ में, पैरा 32 और 33 में, निम्नलिखित मत व्यक्त किया गया है :-

"32. यह निष्कर्ष अभिलिखित करने के लिए कि कोई व्यक्ति (i) धारा 143, 146 या 148 के अधीन अपराधों में से किए गए अपराध का दोषी है या (ii) किसी अन्य अपराध के लिए धारा 149 के अधीन प्रतिनिधिक रूप से दायी है, सर्वप्रथम अवश्य यह साबित किया जाना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति 'विधिविरुद्ध जमाव' का सदस्य है जिसमें पांच से अन्यून व्यक्ति सम्मिलित थे और इस तथ्य को विचार में नहीं लाया जाएगा कि इन पांच व्यक्तियों में से प्रत्येक की पहचान साबित होती है या नहीं । यदि यह तथ्य साबित हो जाता है, तो जांच का अगला कदम यह है कि क्या विधिविरुद्ध जमाव का सामान्य उद्देश्य भारतीय दंड संहिता की धारा 141 में विनिर्दिष्ट पांच प्रगणित उद्देश्यों में से एक उद्देश्य रहा है या नहीं ।

33. जमाव के सामान्य उद्देश्य का पता प्रत्येक मामले की परिस्थितियों से लगाया जाना चाहिए जैसे जमाव के इकट्ठा होने का समय और स्थान, अलग-अलग सदस्यों के आचरण से सुभिन्न जमाव के व्यक्तियों का आचरण उस जमाव के सामान्य उद्देश्य के संकेतक हैं । जमाव के अलग-अलग सदस्यों द्वारा कारित केवल स्पष्ट कृत्यों के आधार पर जमाव के सामान्य उद्देश्य का निर्धारण

करना, हमारी राय में, अननुज्ञेय है । उदाहरण के लिए, यदि पांच से अधिक लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं और घातक आयुधों से एक अन्य व्यक्ति पर आक्रमण करते हैं और अंततोगत्वा इसके परिणामस्वरूप विपदग्रस्त की मृत्यु हो जाती है, तो केवल इस आधार पर यह निष्कर्ष निकालना गलत है कि ऐसे जमाव के किसी एक या कुछ सदस्यों ने उन व्यक्तियों के साथ सामान्य उद्देश्य सांझा नहीं किया था जिन्होंने घातक क्षतियां कारित की थीं (जैसा कि चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा साबित हुआ है) और ऐसे सदस्यों द्वारा कारित की गई क्षतियां अपेक्षाकृत कम गंभीर और अघातक हैं ।"

16. इस प्रकार, यह दलील है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 141 का अवलंब न लेने का महत्व यह है कि विधिविरुद्ध जमाव के गठन होने का आधार ही विद्यमान नहीं था ।

17. पूर्वोक्त तर्कणा की रूपरेखा का समर्थन करने के लिए **दानी सिंह** बनाम **बिहार राज्य**[1] वाले मामले में पूर्वोक्त निर्णय के प्रति भी निर्देश किया गया है, जिसमें पैरा 11 में निम्नलिखित मत व्यक्त किया गया था :-

"11. भारतीय दंड संहिता की धारा 149 में जोर सामान्य उद्देश्य पर दिया गया है न कि सामान्य आशय पर । किसी विधिविरुद्ध जमाव में किसी व्यक्ति की मात्र मौजूदगी से वह तब तक दायी नहीं बनता है जब तक कि सामान्य उद्देश्य न हो और वह उस सामान्य उद्देश्य से प्रेरित न हो तथा वह उद्देश्य उन उद्देश्यों में से एक न हो जो धारा 141 में उपवर्णित हैं । जहां किसी विधिविरुद्ध जमाव का सामान्य उद्देश्य साबित नहीं होता है, वहां धारा 149 की सहायता से अभियुक्तों को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है । अवधारण करने के लिए निर्णायक प्रश्न यह है कि क्या जमाव पांच या अधिक व्यक्तियों से मिलकर बना था और क्या उक्त व्यक्तियों का धारा 141 में यथा विनिर्दिष्ट सामान्य उद्देश्यों

---

[1] (2004) 13 एस. सी. सी. 203.

में से एक या अधिक सामान्य उद्देश्य था । विधि की एक सामान्य प्रतिपादना के रूप में यह अधिकथित नहीं किया जा सकता है कि जब तक किसी व्यक्ति के विरुद्ध, जिसके बारे में विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य होने का अभिकथन किया गया है, स्पष्ट कृत्य साबित नहीं किया जाता है, यह नहीं कहा जा सकता है कि वह विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य है । केवल इस बात की आवश्यकता है कि उसे यह समझ होनी चाहिए कि जमाव विधिविरुद्ध है और उन कृत्यों में से कोई कारित करना संभाव्य है जो धारा 141 की परिधि के अंतर्गत आते हैं । 'उद्देश्य' से अभिप्रेत प्रयोजन या बुरी योजना है और इसे 'सामान्य' बनाने के लिए इसे सभी के द्वारा सांझा किया जाना आवश्यक है । दूसरे शब्दों में, वह उद्देश्य उन व्यक्तियों के लिए सामान्य होना चाहिए, जो जमाव का गठन करते हैं, अर्थात् वे सभी इससे अभिज्ञ होने चाहिए और इसमें सहमति होनी चाहिए । सामान्य उद्देश्य परस्पर परामर्श करने के पश्चात् अभिव्यक्त सहमति द्वारा गठित किया जा सकता है, किंतु यह नितांत आवश्यक नहीं है । इसे किसी भी प्रक्रम पर जमाव के सभी या कुछ सदस्यों द्वारा गठित किया जा सकता है और अन्य सदस्य केवल इसमें सम्मिलित हो सकते हैं और इसे अपना सकते हैं । एक बार गठित होने पर, इसका उसी रूप में बना रहने की आवश्यकता नहीं है । इसे किसी भी प्रक्रम पर उपांतरित या परिवर्तित किया जा सकता है या छोड़ा जा सकता है । धारा 149 में आने वाली 'सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में' अभिव्यक्ति का कड़ाईपूर्वक 'सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए' अभिव्यक्ति के समतुल्य अर्थान्वयन किया जाना चाहिए । यह उद्देश्य की प्रकृति के फलस्वरूप उस सामान्य उद्देश्य के साथ अवश्य अव्यवहित रूप से संबद्ध होनी चाहिए । उद्देश्य अवश्य सांझा होना चाहिए और यह उद्देश्य केवल किसी विशिष्ट प्रक्रम तक विद्यमान रह सकता है और उसके पश्चात् नहीं भी । विधिविरुद्ध जमाव के सदस्यों का उद्देश्य एक निश्चित बिंदु तक सांझा रह सकता है और उसके परे उनके उद्देश्य भिन्न-भिन्न हो सकते हैं और अपने सामान्य उद्देश्य

को अग्रसर करने में जो कुछ कारित किया जाना संभाव्य है उसके बारे में प्रत्येक सदस्य की जानकारी न केवल अपने स्रोत की जानकारी के अनुसार अपितु उस सीमा के अनुसार जिस सीमा तक वह सामान्य उद्देश्य को सांझा करता है, अलग-अलग हो सकती है और इसके परिणामस्वरूप भारतीय दंड संहिता की धारा 149 का प्रभाव एक ही जमाव के भिन्न-भिन्न सदस्यों पर भिन्न-भिन्न हो सकता है ।"

18. भारतीय दंड संहिता की धारा 141 का विनिर्दिष्ट रूप से अवलंब लेने के महत्व का मूल्यांकन करने के लिए **महादेव शर्मा** बनाम **बिहार राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय को निर्दिष्ट करना समुचित होगा । इस न्यायालय ने यह राय व्यक्त की थी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 149 को लागू करने के लिए एक विधिविरुद्ध जमाव का होना आवश्यक है । इन उपबंधों की स्कीम को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्टीकृत किया गया था :-

"9. उन मामलों में, जिनमें यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि धारा 147 के अधीन आरोप का होना अनिवार्य है, भ्रांति इसलिए उद्भूत होती है क्योंकि वे इस बात की अनदेखी करते हैं कि 143 के संघटक तब धारा 147 में विवक्षित हैं और धारा 147 के संघटक विवक्षित होते हैं जब धारा 149 के अधीन आरोप सम्मिलित किया जाता है । धारा 141 के विवेचन से यह दर्शित होता है कि सामान्य उद्देश्य, जो किसी जमाव को विधिविरुद्ध बना देता है, उसमें आपराधिक बल का प्रयोग या आपराधिक बल का प्रदर्शन, रिष्टि या आपराधिक अतिचार या अन्य अपराध का कारित करना, या किसी विधि या वैध आदेशिका के निष्पादन का प्रतिरोध करना अंतर्वलित हो सकता है । जब धारा 149 की सहायता से हत्या जैसे अपराध के लिए आरोप लगाया जाता है तो धारा 143 और 147 के अधीन अपराधों का विद्यमान होना आवश्यक है, किंतु अन्य दोनों आरोपों को तब तक अलग से विरचित करने की

---

[1] [1966] 1 एस. सी. आर. 18.

आवश्यकता नहीं है जब तक कि उनके अधीन दोषसिद्ध करने की मांग नहीं की जाती है । इस प्रकार, जब धारा 147 या 148 के अधीन आरोप हो, तो धारा 143 प्रयुक्त नहीं की जाती है और जब धारा 148 के अधीन आरोप हो तो, धारा 147 प्रयुक्त नहीं की जाती है । जब भारतीय दंड संहिता के अधीन अपराध के साथ पठित धारा 149 के अधीन आरोप है, तो धारा 147 का त्याग किया जा सकता है ।"

19. इसके पश्चात् यह राय व्यक्त की गई है कि यदि अपीलार्थी के विरुद्ध विरचित किए गए आरोपों में विधिविरुद्ध जमाव के प्रत्येक सदस्य के अपराध को भारतीय दंड संहिता की धारा 149 की सहायता से सिद्ध करने के लिए सभी आवश्यक संघटक अंतर्विष्ट हैं, और अभियोजन पक्ष सामान्य उद्देश्य के साथ विधिविरुद्ध जमाव की विद्यमानता, जो कि अपराध है, और साथ ही प्रत्येक अपीलार्थी का इस जमाव का सदस्य होने की बात साबित कर देता है, तो और अधिक साबित करना आवश्यक नहीं है । इन मताभिव्यक्तियों का प्रभाव यह है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 141 केवल यह परिभाषित करती है कि विधिविरुद्ध जमाव क्या है और किस रीति में विधिविरुद्ध जमाव अपना संचालन करता है, और किन दशाओं में सामान्य उद्देश्य जमाव को विधिविरुद्ध बना देगा, यह भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के संदर्भ में समुचित दंड के परिणामों का उल्लेख करते हुए, उसके पश्चात् की धाराओं में विनिर्दिष्ट है ।

20. **कुलदीप यादव** बनाम **बिहार राज्य**[1] वाले मामले के पैरा 36 में यह राय व्यक्त की गई थी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के अधीन दोषसिद्धि अभिलिखित करने से पूर्व जमाव के सामान्य उद्देश्य की प्रकृति के संबंध में अवश्य एक स्पष्ट निष्कर्ष दिया जाना चाहिए और चर्चा किए गए साक्ष्य से न केवल सामान्य उद्देश्य अवश्य दर्शित होना चाहिए, अपितु यह भी दर्शित होना चाहिए कि उद्देश्य विधिविरुद्ध था । आवश्यकता इस बात की है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 141 के

---

[1] (2011) 5 एस. सी. सी. 324.

आवश्यक संघटक अवश्य सिद्ध किए जाने चाहिए ।

21. पूर्वोक्त पहलू की परीक्षा करने पर, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचने में असमर्थ हैं कि आरोप विरचित करते समय भारतीय दंड संहिता की धारा 141 को सम्मिलित न करना कोई ऐसी घातक त्रुटि है जिससे संपूर्ण विचारण अवैध हो जाता है या इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 149 का अवलंब लेने का कोई कारण नहीं था । यह प्रतीत होता है कि विद्वान् काउंसेल ने न्यायिक निर्णयों का सही परिप्रेक्ष्य में यह मूल्यांकन नहीं किया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 149 का अवलंब लेने के लिए क्या आवश्यक है जो इन निर्णयों में उपवर्णित किया गया है । यह कहीं भी नहीं कहा गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 141 का विनिर्दिष्ट रूप से अवलंब लिया जाना चाहिए अन्यथा इसके परिणाम घातक होंगे । जैसे ही विधिविरुद्ध जमाव के आवश्यक संघटक, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 141 में निरुपित हैं, उपवर्णित किए जाते हैं और साबित हो जाते हैं, इतना पर्याप्त होगा । विधिविरुद्ध जमाव के कार्य और उसके पश्चात् दंड, भारतीय दंड संहिता की धारा 141 के पश्चात् के पश्चात्वर्ती उपबंधों में उपवर्णित हैं और जैसे ही वे संघटक पूर्ण हो जाते हैं, भारतीय दंड संहिता की धारा 149 का अवलंब लिया जा सकता है ।

22. इस तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में, यह मत व्यक्त किया जाता है कि संदीप और सातों अभियुक्तों के बीच जो भी कहा-सुनी या बहस हुई थी, इसका परिणाम यह था कि सातों अभियुक्त आक्रामक आयुधों से लैस होकर घटनास्थल, जो मृतक का निर्माणाधीन मकान था, पर आए थे और सभी ने मृतक पर प्रहार किए थे । राजेश यादव, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, ने न केवल बाही से प्रहार किया था, अपितु यह ललकार भी दी थी कि मृतक को मार दिया जाए । अन्य सभी अभियुक्तों ने भी मृतक पर प्रहार किए थे । अभि. सा. 7 और अभि. सा. 8 के बीच-बचाव करने पर भी उनके ये प्रहार नहीं रुके थे, अपितु दूसरी ओर, इसके परिणामस्वरूप अभि. सा. 7 और अभि. सा. 8 को क्षतियां पहुंची थीं । यह ऐसा मामला नहीं है जहां सामान्य जमाव के सदस्य घटनास्थल पर आए और तत्पश्चात् प्रहार करने का विनिश्चय किया हो । ऐसा नहीं है

कि कोई संयोगवश इस समूह में सम्मिलित हुआ था, अपितु उनमें से सभी एक स्पष्ट आशय के साथ एक साथ आए थे और उस आशय के अनुसार कार्य किया था । ऐसा नहीं है कि अभियुक्तों में से कोई घटनास्थल से भाग गया हो, या वह प्रहार करने का आशय समाप्त हो गया हो जिसके परिणामस्वरूप मृतक की मृत्यु हुई थी । इस प्रकार, सामान्य उद्देश्य इसके देखने से ही स्पष्ट हो जाता है । मृतक को कम-से-कम चौबीस क्षतियां पहुंची थीं और दोनों निचले न्यायालयों ने यह पाया कि अभि. सा. 7 और अभि. सा. 8 द्वारा दिए गए वृत्तांत से विश्वास पैदा होता है जो कि स्वयं घटना में क्षतिग्रस्त हुए थे । इस प्रकार, जहां बहुत सारे व्यक्तियों ने अचानक आक्रमण किया हो, वहां छुट-पुट विसंगतियां पाया जाना स्वाभाविक कारण है । प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अभियुक्तों को जानते थे और इस प्रकार गलत शनाख्त का मामला नहीं हो सकता है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट फाइल करने में कोई अस्पष्टीकृत विलंब नहीं हुआ था ।

23. निस्संदेह, अन्वेषक अधिकारी ने यह अभिसाक्ष्य दिया था कि शराब की दुकानें 11.00 बजे अपराह्न तक खुली रहती हैं, किन्तु इसी बात से वृत्तांत झूठा साबित नहीं हो जाता है, क्योंकि उतने बजे भी शराब प्राप्त करने की कुशलता को समझना कठिन नहीं है और यह बात इस तथ्य से सिद्ध होती है कि शराब प्राप्त की गई थी और घटनास्थल पर उन व्यक्तियों द्वारा आरंभ में लाई गई शराब को समाप्त करने के पश्चात् वे यह शराब पी रहे थे ।

24. तथापि, हम यह उल्लेख कर सकते हैं कि निस्संदेह संदीप के साथ-साथ अन्य व्यक्तियों की परीक्षा की जानी चाहिए थी जिनमें नरेन्द्र भी है जो बाद में आरंभ में हुई कहा-सुनी के स्थान पर गया था । निस्संदेह, अभियोजन पक्ष ने यहां पर गलती की है । तथापि, प्रश्न यह है कि क्या इस बात से किसी रीति में घटना पर, या मृतक को क्षतियां कारित करने की रीति पर, जिनके परिणामस्वरूप मृतक की मृत्यु हुई थी, तथा प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों पर संदेह उत्पन्न होता है । प्रस्तुत मामले के तथ्यों का विश्लेषण करने पर हमारा उत्तर नकारात्मक है । तथापि, अच्छी बात यह है कि सुरेन्द्र पुत्र भगवान सिंह, जो अभि. सा. 7 है, की

शिकायतकर्ता के रूप में परीक्षा की गई थी और उसने संक्षिप्त और स्पष्ट रूप से घटना का उपवर्णन किया था । क्षतिग्रस्त साक्षी अभियुक्तों को जानते थे । घटनास्थल एक निर्माणाधीन स्थल था, इसका यह अर्थ नहीं कि वहां बिजली ही नहीं थी जिससे कि अभियुक्तों की शनाख्त के बारे में भ्रम उत्पन्न हो सके ।

25. हम यह भी उल्लेख कर सकते हैं कि विचारण न्यायालय और अपील न्यायालय के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिन्होंने साक्ष्य का मूल्यांकन किया था और हमें नहीं लगता कि इस न्यायालय को साक्ष्य का मूल्यांकन करने के लिए स्वयं को तृतीय अपील न्यायालय में संपरिवर्तित करना चाहिए ।

26. हम इस तर्क से भी अप्रभावित हैं कि दंडादेश को धारा 304 भाग-2 के अधीन आने वाले दंडादेश में संपरिवर्तित कर दिया जाए क्योंकि अभियुक्तों द्वारा सिद्धदोष व्यक्तियों के रूप में साढ़े नौ वर्ष की अवधि का कारावास भुगत लिया गया है । आक्रमण करने की रीति, जिस सामान्य उद्देश्य से यह आक्रमण किया गया था, क्षतियों की प्रकृति इस मामले में हमें अभियुक्तों को उससे कम दंडादेश, जो विधान-मंडल द्वारा आदिष्ट है अर्थात् आजीवन कारावास (जहां विकल्प केवल मृत्युदंड है) भुगतने के लिए उन्हें केवल सुकर करने हेतु मामले में अधिक अनुकंपा बरतने के लिए अनुज्ञात नहीं करते हैं ।

27. इस प्रकार, हम अभियुक्त सं. 4 और 6 की ओर से बनाए गए मामले में कोई गुणागुण नहीं पाते हैं ।

28. अभियुक्त-5 की ओर से विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल, श्री बसंत द्वारा अभियुक्त के घटनास्थल पर मौजूद न होने अर्थात् घटना में कोई भागीदारी न होने अपितु गलत शनाख्त का मामला होने के मुख्य अभिवाक् पर जोर देने का भरसक प्रयास किया गया । संदीप, जिसका अभियुक्त-2 और अभियुक्त-3 के साथ झगड़ा हुआ था, की एक साक्षी के रूप में परीक्षा न किया जाना एक निर्णायक खामी बताई गई है । तथापि, इस पहलू पर हमने पहले ही ऊपर चर्चा की है । चूंकि दोषसिद्धि मूल रूप से क्षतिग्रस्त साक्षियों अभि. सा. 7 और अभि. सा. 8 के कथन के आधार पर की गई है, विद्वान् काउंसेल ने इन दोनों साक्षियों के

परिसाक्ष्यों के साथ-साथ अभि. सा. 7 द्वारा की गई अभियुक्त सं. 5 की शनाख्त, शिकायत और प्रथम इत्तिला कथन में कुछ विसंगतियां दर्शित करनी चाही । यह दलील दी गई कि मूल रूप से शनाख्त एक लाला नामक व्यक्ति की गई थी । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यह कथन किया गया है कि वह सुरेश **उर्फ** लाला (अभि. सा. 5) था । इस प्रकार, यह दलील दी गई कि इस बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया कि लाला प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में सुरेश **उर्फ** लाला कैसे बन गया था या अन्वेषक अधिकारी ने ऐसा क्यों अभिलिखित किया था । यह बताया गया कि मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट में भी केवल लाला का उल्लेख है । इस प्रकार, दलील यह थी कि जबकि अभियुक्त सुरेश था, और उसे लाला के रूप में नहीं जाना जाता है । सुरेश घटना की तारीख को कथित रूप से अपने जन्म स्थान के गांव में था, न कि घटनास्थल पर, किंतु यह अन्यत्र उपस्थित होने का एक अभिवाक् है और यही अभिवाक् अन्य अभियुक्तों ने भी किया है ।

29. विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल ने अभि. सा. 7 और अभि. सा. 8 के कथन को विस्तारपूर्वक पढ़ना चाहा । अभि. सा. 8 ने यह अभिकथन नहीं किया है कि अभियुक्त सं. 5 ने उसके शरीर पर कोई क्षति कारित की थी, जबकि अभि. सा. 7 ने विनिर्दिष्ट रूप से यह अभिकथन किया है कि अभियुक्त सं. 5 ने अभि. सा. 8 पर प्रहार किया था । दूसरी ओर, अभि. सा. 7 ने अभियुक्त सं. 5 पर मृतक की टांग पर लठ से प्रहार करने का आरोपण किया है, जबकि अभि. सा. 8 ने विनिर्दिष्ट रूप से ऐसा नहीं कहा है, अपितु किए गए प्रहारों का साधारण तौर पर उल्लेख किया है ।

30. पूर्वोक्त अभिवाकों की परीक्षा करने पर हम सहमत हैं कि ये विसंगतियां ऐसी विसंगतियों के अंतर्गत आती हैं जिन्हें उच्च न्यायालय द्वारा 'छुट-पुट' विसंगतियों का नाम दिया गया है ; इतना ही नहीं, यह घटना इस प्रकृति की थी, जहां सभी अभियुक्त मृतक पर आगे-पीछे प्रहार कर रहे थे । अभि. सा. 7 और अभि. सा. 8 भी इस आक्रमण का शिकार बने थे जब उन्होंने बीच-बचाव करने की कोशिश की थी । यह स्वीकार करना कठिन है कि ऐसी किसी स्थिति में, वर्णन पूर्णत: हु-ब-हु होना चाहिए, बल्कि घटना के समय क्या घटित हुआ था इसमें मोटे तौर

पर संगति होनी चाहिए । विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल के अभिवाक् को स्वीकार करना, जिसमें सरसरी तौर पर कुछ गुणागुण होना प्रतीत हो सकता है किन्तु गहराई से परीक्षा करने पर जैसे-तैसे दोषमुक्ति प्राप्त करने के लिए साक्षियों के परिसाक्ष्य की बाल की खाल निकालने की कोटि में आएगा । हम यह भी उल्लेख कर सकते हैं कि ऐसी कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी जो अकेले अभियुक्त सं. 5 को अपराध में फंसाने के बारे में उसके विरुद्ध आरोपित की जा सके । वास्तव में, मृतक की शिकायत पूर्व में सभी अभियुक्तों के सामूहिक बर्ताव के बारे में थी । इसके परिणामस्वरूप सभी अभियुक्तों ने घटनास्थल, जो मृतक का निर्माणधीन मकान था, पर आकर मृतक पर घातक प्रहार करने के लिए संदीप के साथ एक छुट-पुट कहा-सुनी होने के अवसर का प्रयोग किया जिसकी परिणति मृतक की मृत्यु के रूप में हुई ।

31. राज्य की ओर से विद्वान् काउंसेल ने हमारा ध्यान अभियुक्त-5 की शनाख्त के पहलू के संबंध में आक्षेपित आदेश में की गई चर्चा की ओर भी आकृष्ट किया, जो निम्न प्रकार से है :–

> "..... प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में, अभियुक्त सुरेश को मुंथिया खेड़ी के निवासी लाला अहीर के रूप में वर्णित किया गया है । तथापि, प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने कठघरे में उपस्थित होते समय उसे सुरेश **उर्फ** लाला के रूप में वर्णित किया था/शनाख्त की थी । निर्विवाद रूप से, अभियुक्त सुरेश मुंथिया खेड़ी का निवासी है । प्रत्यक्षदर्शी साक्षी उसे पहले से जानते थे । इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वह लाला के रूप में भी जाना जाता होगा और इस प्रकार घटनास्थल पर उसकी मौजूदगी पर संदेह नहीं किया जा सकता है ।"

32. अभि. सा. 8 के परिसाक्ष्य से यह भी दर्शित होता है कि उसने अभियुक्त सं. 6 और अन्य अभियुक्तों को पहले देख लिया था जब उस प्रक्रम पर उन्होंने उसे पहचान लिया था । इन्हीं परिस्थितियों में उसने सभी अभियुक्तों की शनाख्त की थी । वास्तविकता यह है कि अभियुक्त सं. 3, अभियुक्त सं. 4 और अभियुक्त सं. 5 को उसी दिन गिरफ्तार कर

लिया गया था, यद्यपि, अभियुक्त सं. 6 को बाद में गिरफ्तार किया गया था । आयुधों की बरामदगी भी अभियुक्त सं. 5 के प्रकटन कथन के कारण हुई थी । इस प्रकार, हम गलत शनाख्त करने के अभिवाक् को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं, जो विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल द्वारा किया गया है, जिसे असल में अभियुक्त सं. 5 के मामले को अन्य अभियुक्तों से सुभिन्न करने वाला कहा गया है ।

33. हम यह भी उल्लेख कर सकते हैं कि जहां तक अभियुक्त सं. 3 का संबंध है, गलत शनाख्त करने के बारे में दिए गए तर्क को छोड़कर सभी तर्क अभियुक्त सं. 5 के अपनाए गए हैं किंतु तब भी अभियुक्त सं. 4 और अभियुक्त सं. 6 के औपचारिक रूप से अपनाए गए तर्कों को जिन्हें पहले ही नामंजूर कर दिया गया है, को छोड़कर अभियुक्त सं. 5 का यह एकमात्र अभिवाक् है ।

34. पूर्वोक्त चर्चा का शुद्ध परिणाम यह है कि चारों अपीलें अवश्य असफल होती हैं और तद्नुसार, खारिज की जाती हैं ।

35. अभियुक्तों को शेष दंडादेश भुगतने के लिए आज की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर विचारण न्यायालय के समक्ष अभ्यर्पण करने का निदेश दिया जाता है ।

36. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि समुचित दंडादेश भुगत लेने के पश्चात् अर्जित किया गया कोई परिहार हो तो रिहा किए जाने के लिए उनके मामलों पर राज्य सरकार के सन्नियमों के निबंधनों के अनुसार विचार किया जाएगा ।

अपीलें खारिज की गईं ।

जस.